दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 06 नवंबर 2023

रि.या.(सि.) 10836/2023 और सि.वि.आ. 41962/2023

आर्यन कुमार (अवयस्क) ने पिता रेविंदर कुमार द्वारा .....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री पूजा धर और सुश्री एस. अंबिका, अधिवक्तागण

बनाम

केंद्रीय विद्यालय और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री एस. राजप्पा और श्री आर. गौरीशंकर, प्र.1 और प्र.2 के लिए अधिवक्तागण
श्री अशोक कुमार और सुश्री छवि अरोड़ा, प्र.3 के लिए अधिवक्तागण

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनूप जयराम भंभानी

निर्णय

न्या. अनूप जयराम भंभानी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जिसकी आयु लगभग 17 वर्ष है

और प्रत्यर्थी सं.1/केंद्रीय विद्यालय, सेक्टर 12, द्वारका, नई दिल्ली शाखा ('प्रत्यर्थी विद्यालय') में कक्षा-XI का छात्र है, परमादेश की प्रकृति में रिट या एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश चाहता है, प्रत्यर्थी विद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उसे गणित, जिस (पश्चातकथित) विषय में वह उत्तीर्ण होने में विफल रहा है, में उसके अंकों के बजाय कक्षा-XI की परीक्षाओं में शारीरिक शिक्षा में प्राप्त अंकों को ध्यान में रखते हुए, उसे कक्षा-XII में पदोन्नत किया जाए।

2. प्रत्यर्थी सं.2 केंद्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.) है, जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक निकाय है, जो प्रत्यर्थी विद्यालय को शासित और नियंत्रित करता है; और प्रत्यर्थी सं.3 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) है, जो एक निकाय है जो अन्य बातों के साथ-साथ एक सामान्य पाठ्यक्रम के आधार पर कक्षा-X और कक्षा-XII के लिए सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करता है। यह सी.बी.एस.ई. का पाठ्यक्रम और उपनियम हैं जो वर्तमान मामले में विवाद में हैं।

3. अपने छात्रों को सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने के लिए, एक विद्यालय को सी.बी.एस.ई. से 'संबद्ध' होना आवश्यक है। यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी विद्यालय सी.बी.एस.ई. से संबद्ध है और इसलिए सी.बी.एस.ई. उपनियम उस विद्यालय पर लागू होते हैं, जैसा कि आगे विस्तार से बताया गया है।

4. इस याचिका पर नोटिस 16.08.2023 को जारी किया गया था; जिसके बाद प्रत्यर्थी विद्यालय और के.वी.एस. द्वारा दिनांक 17.09.2023 को प्रति-शपथपत्र दायर किया गया है। सी.बी.एस.ई. द्वारा दिनांक 03.10.2023 को एक संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र भी दायर किया गया है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी विद्यालय की ओर से लिखित प्रस्तुतियाँ भी दायर की गई हैं।

संक्षिप्त तथ्य

5. कक्षा-XI में याचिकाकर्ता ने अंग्रेजी, व्यवसाय अध्ययन, लेखा, अर्थशास्त्र और गणित को अपने 05 'मुख्य विषयों' के रूप में चुना। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता ने शारीरिक शिक्षा को एक 'अतिरिक्त विषय' के रूप में चुना। मार्च 2023 में याचिकाकर्ता ने कक्षा-XI के लिए अपनी अंतिम परीक्षा दी और 28.03.2023 पर घोषित परिणामों के अनुसार, उसने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं:

विषय	**अंतिम सैद्धांतिक (80)**	**प्रायोगिक/ परियोजना (20)**	**समग्र अंक (100)**	**समग्र ग्रेड**
व्यवसाय अध्ययन	27	15	42	सी2
लेखा	27	15	42	सी2
अंग्रेज़ी	41	13	54	सी1

अर्थशास्त्र	27	12	39	डी
गणित	12	14	26	ई

6. स्पष्टता के लिए यहां कहा जा सकता है कि सी.बी.एस.ई. के नियमों के अनुसार, जैसा कि इसमें इसके पश्चात विस्तृत किया गया है,, यदि किसी विषय में कोई सैद्धांतिक और प्रायोगिक/परियोजना परीक्षा शामिल है, तो अर्हता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए, एक छात्र को प्रत्येक सैद्धांतिक और प्रायोगिक/परियोजना परीक्षा में कम से कम 33% अंक और कुल मिलाकर 33% प्राप्त करने होंगे।

7. याचिकाकर्ता को गणित में प्रारंभिक और पूरक परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का विवरण इस प्रकार हैं:

परीक्षा	**अंतिम सैद्धांतिक (80)**	**प्रायोगिक/परियोजना (20)**	**समग्र अंक (100)**
प्रारंभिक परीक्षा	12	14	26
पूरक परीक्षा	19	14	33

8. चूंकि याचिकाकर्ता ने गणित में 33% से कम अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए उसे उस विषय में पूरक परीक्षा देने की आवश्यकता थी।

हालाँकि, 19.04.2023 को आयोजित पूरक परीक्षा में भी, वह 33% अंक प्राप्त करने में असमर्थ था, और विद्यालय ने तदनुसार उसे 29.04.2023 को एक 'आवश्यक दोहराव' के रूप में घोषित किया, अर्थात, उसे कक्षा-XI को दोहराने के लिए कहा गया है।

9. हालांकि, अतिरिक्त विषय, अर्थात शारीरिक शिक्षा में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए:

विषय	**अंतिम सैद्धांतिक (70)**	**प्रायोगिक/ परियोजना (30)**	**समग्र अंक (100)**	**समग्र ग्रेड**
शारीरिक शिक्षा	26	15	41	सी2

10. याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया आवश्यक तर्क यह है कि चूंकि विद्यालय सी.बी.एस.ई. से संबद्ध है, इसलिए यह सी.बी.एस.ई. परीक्षा उपनियम, 1995 ('सी.बी.एस.ई. परीक्षा उपनियम') द्वारा बाध्य है; और सी.बी.एस.ई. परीक्षा उपनियमों के अनुसार, याचिकाकर्ता को गणित में प्राप्त अंकों के स्थान पर शारीरिक शिक्षा में प्राप्त अंकों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी गई है। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि ऐसा है, याचिकाकर्ता 05 विषयों में से प्रत्येक में सैद्धांतिक और प्रायोगिक/परियोजना परीक्षा में कम से कम 33% और कुल मिलाकर

33% प्राप्त करने की सी.बी.एस.ई. की आवश्यकता को पूरा करता है; और इसलिए कक्षा-XII में पदोन्नत होने का हकदार है।

11. न्यायालय ने याचिककर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, सुश्री पूजा धर को सुना; याचिकाकर्ता; श्री एस. राजप्पा, प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता। हालांकि, जैसा कि दिनांक 16.08.2023 के आदेश में दर्ज किया गया है, प्रत्यर्थी सं. 3/सी.बी.एस.ई. ने शुरू में प्रस्तुत किया था कि वे केवल एक प्रो-फॉर्मा पक्ष है, यह पता चला कि चूँकि सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों की व्याख्या विचाराधीन थी, दिनांकित 22.09.2023 आदेश के अनुसार सी.बी.एस.ई. को मामले में प्रति-शपथपत्र दायर करने की अनुमति दी गई; और न्यायालय ने सी.बी.एस.ई. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार की संक्षिप्त दलीलें भी सुनीं।

<u>याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत दलीलें</u>

12. सुश्री धर प्रस्तुत करती हैं कि चूंकि प्रत्यर्थी विद्यालय सी.बी.एस.ई. से संबद्ध है, इसलिए यह सी.बी.एस.ई. परीक्षा उपनियमों से बाध्य है और उसे उन उपनियमों में निर्धारित 'उत्तीर्ण मानदंड' को अपनाना होगा। यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विद्यालय के लिए किसी भी अन्य उत्तीर्ण मानदंड को अपनाना अस्वीकार्य है।

13. सुश्री धर ने के.वी.एस. के तहत संचालित सभी स्कूलों को "शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में कक्षा III से VIII और IX और XI के लिए आंकलन और मूल्यांकन प्रविधियों" के संबंध में सहायक आयुक्त (अकाद.) द्वारा जारी दिनांक 16.09.2022 के संचार की ओर ध्यान आकर्षित किया", विशेष रूप से उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं, यानी XI और XII के संदर्भ में उसके निम्नलिखित भाग को, जो इस प्रकार है:

"माध्यमिक कक्षाओं के लिए:- (IX - X)

1. *सी.बी.एस.ई. परिपत्र सं. सी.बी.एस.ई./दिर(ए.सी. ए.डी.)/2022/दिनांकित 20-05-2022, सत्र 2022-23 के लिए बोर्ड के आंकलन और मूल्यांकन प्रविधियों पर परिपत्र सं. ए.सी.ए.डी-57/2022 का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।*
2. *पदोन्नति के लिए प्रत्येक विषय में कक्षा-XI के छात्रों के लिए अर्हता अंक प्रत्येक विषय में 33% होंगे। आगे यह स्पष्ट किया गया है कि जिस विषय में प्रायोगिक घटक शामिल होते हैं; सैद्धांतिक घटक और प्रायोगिक घटक में क्रमशः अलग-अलग उत्तीर्ण (33%) होने की आवश्यकता होती है। इसका तात्पर्य यह है कि छात्रों को 70 में से 33% (सैद्धांतिक) और प्रायोगिक में 30 में से 33% अंक अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसी तरह, छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन वाले विषयों के लिए अलग से उत्तीर्ण (33%) सैद्धांतिक घटक (80 में से 33%) और आंतरिक मूल्यांकन (20 में से 33%) प्राप्त करने की आवश्यकता है। छात्रों को अगली उच्च कक्षा पदोन्नति के लिए भी कुल मिलाकर 33% अंक आवश्यक हैं।*

14. अधिवक्ता ने आगे कहा कि उनके अपने नियमों के अनुसार भी, विशेष रूप से केंद्रीय विद्यालयों के लिए शिक्षा संहिता ('के.वी.एस. शिक्षा संहिता') के अनुच्छेद 106 में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कक्षा-XII में पदोन्नत किए जाने के लिए कक्षा-XI में 05 विषयों में उत्तीर्ण होना अपेक्षित है।

15. अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों के उप-नियम 40.1 के अनुसार अभ्यर्थी को अर्हता प्राप्त करने के लिए सभी 05 विषयों में सैद्धांतिक घटक, प्रायोगिक/परियोजना घटक के साथ-साथ कुल मिलाकर (कम से कम) 33% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, अधिवक्ता का तर्क है कि सी.बी.एस.ई. परीक्षा उपनियमों के तहत एक अभ्यर्थी को 'मुख्य विषय' को 'अतिरिक्त विषय' के साथ प्रतिस्थापित करने की अनुमति है, बशर्ते कि इस तरह के प्रतिस्थापन के बाद अभ्यर्थी के पास मुख्य विषयों में से एक के रूप में अंग्रेजी या हिंदी बनी रहे और बशर्ते कि इस तरह से चुना गया अतिरिक्त विषय भी सी.बी.एस.ई. द्वारा 'वैकल्पिक विषय' के रूप में पेश किया गया हो।

16. इसलिए वर्तमान मामले में, तर्क यह है कि भले ही याचिकाकर्ता गणित में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहा है, क्योंकि उसने पूरक परीक्षा में भी उस विषय में 33% अंक प्राप्त नहीं किए हैं, वह गणित को शारीरिक

शिक्षा के साथ बदलने का हकदार है जिसमें (उत्तरार्द्ध) विषय में, याचिकाकर्ता ने 41/100 यानी 33% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तदनुसार, तर्क यह है कि एक बार जब गणित को मुख्य विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा से बदल दिया जाता है, तो याचिकाकर्ता प्रत्येक मुख्य विषय में 33% अंक प्राप्त करने के मानदंड को पूरा करता है (व्यक्तिगत रूप से, सैद्धांतिक और प्रायोगिक घटकों में) साथ ही कुल मिलाकर 33%, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा गया है:

विषय	**अंतिम सैद्धांतिक (80)**	**प्रायोगिक/ परियोजना (20)**	**समग्र अंक (100)**	**समग्र ग्रेड**
व्यवसाय अध्ययन	27	15	42	सी2
लेखा	27	15	42	सी2
अंग्रेज़ी	41	13	54	सी1
अर्थशास्त्र	27	12	39	डी.
शारीरिक शिक्षा	26	15	41	सी2

17. हालाँकि, यह तर्क दिया जाता है कि सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों और उसमें दिए गए उत्तीर्ण मानदंड की अनदेखी करते हुए, विद्यालय के.वी.एस. शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 106 (जैसा कि दिनांक 05.06.2018 को संशोधित किया गया है) के आधार पर याचिकाकर्ता को कक्षा-XII में पदोन्नत करने से इंकार कर रहा है, जो अन्य बातों के

साथ-साथ कहता है कि पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक उम्मीदवार को सभी विषयों में 33% अंक प्राप्त करने होंगे – अतिरिक्त विषय की गिनती किए बिना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि के.वी.एस. यह मानदंड लागू करने का हकदार नहीं है कि एक अतिरिक्त विषय (भले ही एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तुत) 05 मुख्य विषयों में से किसी एक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि वह मानदंड सी.बी.एस.ई परीक्षा उप-नियम के अनुरूप नहीं है ।

18. सुश्री धर ***जिज्ञा यादव बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करती हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि सी.बी.एस.ई. द्वारा जारी उप-नियमों में विधिक बल है और सभी सभी न्यायिक उद्देश्यों के लिए माना जाना चाहिए, न कि केवल संबद्धता चाहने वाले विद्यालय और सी.बी.एस.ई. के बीच संविदात्मक शर्तों के रूप में। अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से केवल सी.बी.एस.ई. के नियमों के अनुसार ही निपटा जाना चाहिए।

19. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि कक्षा-XI की परीक्षाएँ विद्यालय द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित की जाती हैं न कि सी.बी.एस.ई. द्वारा, सी.बी.एस.ई. द्वारा जारी उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय पाठ्यक्रम 2022-2023 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि कक्षा-XI और XII एक समग्र पाठ्यक्रम हैं और छात्र कक्षा-XI में केवल उन विषयों को ले सकते हैं जिन्हें वे कक्षा-XII में जारी रखने का इरादा रखते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि इसके कारण, कक्षा-XII पर लागू उप-नियम 40.1 के तहत उत्तीर्ण मानदंड कक्षा-XI पर समान रूप से लागू होगा।

20. इस संबंध में अध्ययन योजना से संबंधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम 2022-2023 के पैरा 3.1.1.3(ढ) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो फिर से कहता है:

> *" ढ) यदि किसी छात्र ने छठा विषय लिया है, और यदि वह पहले पांच विषयों में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हुआ है, तो उसे छठा विषय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, बशर्ते कि अभ्यर्थी अध्ययन की योजना को पूरा करता है, यानी प्रतिस्थापन के बाद हिंदी या अंग्रेजी मुख्य पांच विषयों में से एक के रूप में बना रहेगा।"*

21. यह तर्क दिया जाता है कि सभी संबद्ध विद्यालयों में एकरूपता लाने के लिए एक विद्यालय के लिए सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों का पालन करना अनिवार्य है और यदि प्रत्येक विद्यालय को अपनी आंतरिक परीक्षाओं में अलग-अलग मानदंड लागू करने की अनुमति दी जाती है, तो ऐसी एकरूपता समाप्त हो जाएगी।

22. सुश्री धर का तर्क है कि हालांकि सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियम के उप-नियम 37(ii) में कहा गया है कि कक्षा-IX और कक्षा-XI की परीक्षाएँ विद्यालयों द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित की जानी हैं, इसका मतलब यह है कि सी.बी.एस.ई. ने ऐसी परीक्षाएँ आयोजित करने की जिम्मेदारी विद्यालयों को सौंप दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई विद्यालय कक्षा-X और कक्षा-XII की परीक्षाओं के लिए सी.बी.एस.ई. द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों से अलग या अधिक कड़े मानदंड लागू कर सकता है, जो सी.बी.एस.ई. द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं।

23. इन परिस्थितियों में, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से और समग्र रूप से 5वें विषय के रूप में गणित को शारीरिक शिक्षा से बदलने के बाद 05 विषयों में से प्रत्येक में 33% अंक प्राप्त करके कक्षा-XI में विधिवत योग्यता प्राप्त की है; और इसलिए, याचिकाकर्ता कक्षा-XII में पदोन्नत होने का हकदार है।

<u>के.वी.एस. की ओर से प्रस्तुत दलीलें</u>

24. राहत देने का विरोध करते हुए, प्रत्यर्थी विद्यालय और के.वी.एस. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजप्पा प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के मामले का फैसला के.वी.एस. की पदोन्नति नीति के आधार पर किया जाना चाहिए, जो आदेश देता है कि कक्षा-XI की परीक्षाओं में 'उत्तीर्ण' घोषित होने के लिए, एक छात्र को अतिरिक्त विषय

की गिनती किए बिना सभी विषयों में 33% अंक प्राप्त करने होंगे। यह तर्क दिया जाता है कि प्रत्येक विषय में अर्हता अंक 33% होने के अलावा, सैद्धांतिक कार्य के साथ-साथ प्रायोगिक/परियोजना कार्य वाले विषय में, एक छात्र को सैद्धांतिक में 33% अंक और प्रायोगिक/परियोजना कार्य में व्यक्तिगत रूप से 33% अंक प्राप्त करने होंगे और उस विषय को उत्तीर्ण करने के लिए कुल मिलाकर 33% अंक भी चाहिए।

25. आगे यह भी तर्क दिया जाता है कि के.वी.एस. की शासक समिति, जो नीतियों और नियमों को बनाने के लिए इसका शीर्ष निकाय है, ने के.वी.एस. शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 106 को मंजूरी दे दी है, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

> *2. कक्षा XI की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने के लिए, एक उम्मीदवार को सभी विषयों (**अतिरिक्त विषय के बिना**) में 33% अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे। यदि किसी विषय में प्रायोगिक/परियोजना कार्य शामिल है, तो उस विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को सैद्धांतिक में 33% अंक और प्रायोगिक/परियोजना में 33% अंक के अलावा कुल मिलाकर 33% अंक प्राप्त करने होंगे।*
>
> (जोर दिया गया)

26. आगे यह समझाया गया है एक अभ्यर्थी जो कक्षा-XI के लिए सत्र समाप्त होने वाली परीक्षाओं में 05 विषयों में से किसी एक में असफल हो जाता है, उसे उस विषय में 'कम्पार्टमेंट' में रखा जाता है; और उसे

एक कंपार्टमेंट परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है, जिसे कक्षा-XII में पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए उत्तीर्ण करना होगा। यह इंगित किया गया है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने सत्र समाप्ति परीक्षा में गणित में अर्हता प्राप्त नहीं की थी और न ही कम्पार्टमेंट परीक्षा में, जिसके बाद उसे कक्षा-XI में एक 'आवश्यक दोहराव' के रूप में घोषित किया गया था, अर्थात उसे कक्षा-XI के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को दोहराने की आवश्यकता है।

27. यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने के.वी.एस. शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 106 को चुनौती नहीं दी है, जो इसलिए उस पर बाध्यकारी है और कक्षा-XI से कक्षा-XII तक उसकी पदोन्नति को नियंत्रित करना चाहिए।

28. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उप-नियम 40.1 (vi) जिसे सी.बी.एस.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.10.2006 के माध्यम से सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों के अध्याय 7 में जोड़ा गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया था; जो आगे इस प्रस्तुतीकरण का समर्थन करता है कि उप-नियम 40.1 कक्षा-XI के लिए विद्यालय द्वारा आयोजित सत्र समाप्ति परीक्षाओं पर लागू नहीं होता है और केवल कक्षा-XII के लिए सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होता है।

29. संदर्भ के लिए, खंड (vi) जिसे हटा दिया गया है, यह कहता हैः

> ***40.1 उत्तीर्ण मानदंड (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा)***
>
> *(i)-(v) ******
>
> *(vi) <u>कक्षा-XI की परीक्षा</u> में उत्तीर्ण घोषित होने के लिए एक अभ्यर्थी को सभी विषयों में 33% अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे। प्रायोगिक कार्य से जुड़े विषय के मामले में एक अभ्यर्थी को उस विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुल मिलाकर 33% अंकों के अलावा सैद्धांतिक में 33% और प्रायोगिक में अलग से 33% अंक प्राप्त करने होंगे।*
>
> (जोर दिया गया)

और, यह तर्क दिया जाता है कि खंड (vi) को हटाने के बाद, उप-नियम 40.1 में उत्तीर्ण मानदंड निम्नानुसार हैं:

> ***उत्तीर्ण मानदंड (उच्चतर विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा)***
>
> *(i) एक अभ्यर्थी बोर्ड का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पात्र होगा, यदि वह आंतरिक मूल्यांकन के सभी विषयों में ई से अधिक ग्रेड प्राप्त करता है, जब तक कि उसे छूट नहीं दी जाती है। ऐसा न करने पर, बाहरी परीक्षा का परिणाम रोक दिया जाएगा लेकिन एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं।*
>
> *(ii) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने के लिए, एक अभ्यर्थी को मुख्य या कंपार्टमेंटल परीक्षा में बाहरी परीक्षा के सभी पांच विषयों में ई (यानी कम से कम 33% अंक) से अधिक ग्रेड प्राप्त करना होगा। बाहरी परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे। प्रायोगिक कार्य से जुड़े विषय के मामले में, अभ्यर्थी को उस विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुल मिलाकर 33% अंकों के अलावा सैद्धांतिक में 33% और प्रायोगिक में 33% अंक अलग से प्राप्त करने होंगे।*

(iii) समग्र रूप से कोई भी श्रेणी/विशिष्टता/पूर्णांक प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) <u>एक अतिरिक्त विषय की पेशकश करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में,</u> निम्नलिखित मानदंड लागू किए जाएंगे:

(क) एक अतिरिक्त विषय के रूप में पेश की गई भाषा किसी अभ्यर्थी के असफल होने की स्थिति में उस भाषा को प्रतिस्थापित कर सकती है, बशर्ते कि प्रतिस्थापन के बाद अभ्यर्थी के पास अंग्रेजी/हिंदी में से एक भाषा हो।

(ख) <u>एक अतिरिक्त विषय के रूप में प्रस्तावित एक वैकल्पिक विषय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक विषयों में से एक को प्रतिस्थापित कर सकता है। यह किसी भाषा का स्थान भी ले सकता है, बशर्ते कि प्रतिस्थापन के बाद उम्मीदवार के पास अंग्रेजी/हिंदी एक भाषा हो।</u>

(ग) वैकल्पिक स्तर पर प्रस्तावित अतिरिक्त भाषा एक वैकल्पिक विषय का स्थान ले सकती है बशर्ते कि प्रतिस्थापन के बाद दी जाने वाली भाषाओं की संख्या दो से अधिक न हो।

(v) आंतरिक परीक्षा के एक या अधिक विषयों से छूट प्राप्त अभ्यर्थी बाहरी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे और परिणाम उत्तीर्ण मानदंड में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन घोषित किया जाएगा।

(जोर दिया गया)

30. एक अनुक्रम के रूप में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड (vi) को हटाने पर, सी.बी.एस.ई. ने इसे अलग-अलग विद्यालयों पर छोड़ दिया है कि वे कक्षा-XI से कक्षा-XII तक के छात्रों की पदोन्नति के लिए अपने स्वयं के नियम/मानदंड तैयार करें। सी.बी.एस.ई. द्वारा और विशेष रूप से उसके पैरा 9 में दाखिल किए गए संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र की ओर

ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें सी.बी.एस.ई. ने कहा है कि वह न तो परीक्षा की निगरानी करता है और न ही कक्षा-XI के लिए पदोन्नति, मूल्यांकन और कंपार्टमेंट परीक्षाओं की; न ही यह इसे नियंत्रित करता है क्योंकि कक्षा-XI की परीक्षाएँ विद्यालय द्वारा आंतरिक रूप से आयोजित की जाती हैं। के.वी.एस. की ओर से यह निवेदन किया जाता है कि इसलिए के.वी.एस. के लिए सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों का पालन करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि वे विशेष रूप से कक्षा-XI से कक्षा-XII तक किसी छात्र की पदोन्नति को कवर नहीं करते हैं।। इस बात पर जोर दिया जाता है कि चूंकि सी.बी.एस.ई. ने किसी छात्र को कक्षा- XI से कक्षा-XII में पदोन्नत करने के संबंध में एक विशिष्ट उप-नियम को हटा दिया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि सी.बी.एस.ई. अपने स्वयं के उत्तीर्ण मानदंडों के आधार पर आंतरिक रूप से कक्षा-11 की परीक्षा आयोजित करने के लिए विद्यालयों की स्वायत्तता को मान्यता देता है।

31. सी.बी.एस.ई. द्वारा दायर संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र के पैरा 5 से 7 पर याचिकाकर्ता द्वारा रखी गई निर्भरता का जवाब देते हुए, यह समझाया जाता है कि सी.बी.एस.ई. ने स्वयं उसी शपथ पत्र के पैरा 8 में स्पष्ट किया है कि सी.बी.एस.ई. कक्षा-X और कक्षा-XII के अभ्यर्थियों के लिए एक परीक्षा निकाय है, जो उन कक्षाओं के लिए आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित होते हैं, लेकिन अभ्यर्थी कक्षा-IX से कक्षा-X में पदोन्नति

के मानदंडों को पूरा करने के बाद ही उन परीक्षाओं में बैठ सकते हैं, और कक्षा-XI से कक्षा-XII तक, जैसा कि संबंधित विद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है।

32. के.वी.एस. ने ***नीति सिंह मलिक बनाम भारत संघ*** मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के निर्णय पर भी भरोसा किया है, यह तर्क देने के लिए कि यह एक समान मामला था जिसमें न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

> *"9. केन्द्रीय विद्यालय संगठन स्वयं एक निकाय है जिसका गठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा विद्यालयों में मानकों को स्थापित करने और लागू करने के लिए किया गया है। वे पूरे भारत में मानकों में एकरूपता लागू कर रहे हैं। <u>उन्हें स्थानीय नियमों के अधीन करने से संगठन का उद्देश्य विफल हो जाएगा। यदि याचिकाकर्ता की दलीलों का समर्थन करना है, तो संगठन के विद्यालयों को स्थानीय राज्य अधिनियमों और विनियमों का पालन करना होगा, और खुद को असममित प्रबंधकीय संरचना, कर्मचारी विन्यास और शिक्षा के मानकों के अधीन भी करना होगा।</u> इन परिस्थितियों में, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, संगठन संहिता के अनुच्छेद 106 के तहत प्रोन्नति के मानकों को अभिभावी करना होगा। चूंकि याचिकाकर्ता न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं कर सकी, इसलिए वह कक्षा-XII में पदोन्नति के अधिकार का दावा नहीं कर सकती।*
>
> (जोर दिया गया)

33. इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि समन्वय पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि के.वी.एस. स्थानीय राज्य अधिनियमों और विनियमों के

अधीन नहीं है, क्योंकि यह के.वी.एस. को असममित प्रबंधकीय संरचना, कर्मचारी विन्यास और शिक्षा के मानकों के अधीन बना देगा और के.वी.एस. शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 106 में निर्धारित पदोन्नति के मानक दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के तहत लागू होंगे।

34. यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि कम से कम कक्षा-XI से कक्षा-XII तक पदोन्नति से संबंधित एक विशिष्ट उप-नियम होता तो सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियम प्रभावी होते। चूंकि उस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट उप-नियम हटा दिया गया है, इसलिए सी.बी.एस.ई. द्वारा कक्षा-XI से कक्षा-XII में छात्र की पदोन्नति के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।

35. इसके अतिरिक्त के.वी.एस. ने ***जी.बी. महाजन और अन्य बनाम जलगाँव नगर परिषद और अन्य***, में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि नीतिगत मामलों में न्यायिक समीक्षा की अनुमति नहीं है; और चूंकि के.वी.एस. शिक्षा संहिता का अनुच्छेद 106 नीति का विषय है, इसलिए न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

36. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के लिए गणित में अपने अंकों को शारीरिक शिक्षा के साथ प्रतिस्थापित करना अस्वीकार्य है और इसलिए याचिकाकर्ता को कक्षा-XI

से कक्षा-XII में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है और वह 2024 में आयोजित होने वाली कक्षा-XII के लिए सी.बी.एस.ई. उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य है।

<u>सी.बी.एस.ई. की ओर से प्रस्तुत दलीलें</u>

37. सी.बी.एस.ई. की ओर से दायर किए गए संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र की सामग्री पर भरोसा करते हुए, श्री कुमार प्रस्तुत करते हैं कि भाषा और भाव की दृष्टि से, सी.बी.एस.ई. से संबद्ध विद्यालय से सी.बी.एस.ई. के उपनियमों, नियमों, नीतियों और परिपत्रों को पालन करने की अपेक्षा की जाती है। विशेष रूप से, सी.बी.एस.ई. द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और विनियमों के साथ-साथ सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों का पालन किया जाना चाहिए।

38. इस संबंध में सी.बी.एस.ई. द्वारा संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र के पैरा 7 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसे विस्तारपूर्वक निष्कर्षित किया जा सकता है:

> *"7. इसके अलावा, यह उल्लेख करना उचित है कि कक्षा-XI और कक्षा-XII के पाठ्यक्रम एक समग्र पाठ्यक्रम हैं और छात्रों को कक्षा-XI में केवल वही विषय लेने होंगे जिन्हें वह कक्षा-XII में जारी रखना चाहते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि छात्र कक्षा-XI में कम से कम 5 या अधिक विषय ले सकते हैं और उन्हीं विषयों को कक्षा-XII में जारी रखने की आवश्यकता है। यदि छात्र ने छठा विषय (अतिरिक्त विषय) लिया है और <u>यदि वह पहले पांच विषयों में से</u>*

<u>किसी में भी असफल रहता है, तो उसे छठे विषय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा,</u> बशर्ते कि उम्मीदवार अध्ययन की योजना को संतुष्ट करता है, यानी प्रतिस्थापन के बाद, हिंदी या अंग्रेजी भाषा मुख्य पांच विषयों में से एक के रूप में बनी रहती है। इसमें आगे यह उल्लेख करना उचित है कि अध्ययन की योजना के अनुसार किसी भी विषय के साथ कौशल ऐच्छिक की पेशकश की जा सकती है।

(जोर दिया गया)

39. उनसे पूछे गए एक प्रश्न पर श्री कुमार ने स्पष्ट किया है कि सी.बी.एस.ई. की नीति अपने उप-नियमों की व्याख्या को अपनाना है जो उसमें निहित सीमाओं के भीतर छात्रों के पक्ष में है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया है कि *सी.बी.एस.ई. की स्थिति स्पष्ट है कि कक्षा-XI और कक्षा-XII एक समग्र पाठ्यक्रम है और इसलिए उपनियम 40.1, हालांकि यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए उत्तीर्ण मानदंड को संदर्भित करता है, कक्षा-XI के लिए भी उतना ही लागू होगा जितना कि यह कक्षा-XII के लिए लागू होता है।*

40. यह रिकॉर्ड करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सी.बी.एस.ई. की ओर से दायर किए गए संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र दिनांक 03.10.2023 के पैरा 4 में, उप-नियम 40.1 के निष्कर्षण में खंड (vi) शामिल है, जिसका अर्थ है कि के.वी.एस. की ओर से किया गया प्रस्तुतिकरण कि खंड (vi) अब हटा दिया गया है, वास्तव में गलत है।

41. मामले में दलीलें पूरी होने के बाद और मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखने के बाद, कक्षों में विचार के दौरान यह पता चला कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ का ***पुनीत सिंह (नाबालिग) उनके पिता रमेश सिंह बनाम मॉडर्न स्कूल और अन्य*** मामले में निर्णय, जो इस मुद्दे के लिए प्रासंगिक था, किसी भी पक्ष द्वारा उद्धृत नहीं किया गया था। तदनुसार, दिनांक 20.10.2023 के आदेश के अनुसार, मामले को फिर से सूचीबद्ध किया गया और उक्त निर्णय अधिवक्ता के सामने रखा गया, जिन्हें उस निर्णय को पढ़ने के लिए न्यायालय को संबोधित करने के लिए कहा गया था।

42. उपरोक्त निर्णय के संबंध में, पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को सारांशित करने से पहले, इसके प्रासंगिक भाग को निकालना उपयोगी है, जो निम्नानुसार है:

> *"2. याचिकाकर्ता ने कक्षा-XI से कक्षा-XII में पदोन्नति के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा दी, लेकिन व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र और गणित के विषयों में अनुत्तीर्ण होने के कारण उसे पदोन्नत नहीं किया गया है। यह वह है याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसने प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय को 5 फरवरी, 2015 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसे गणित के विषय को बदलने की अनुमति दी जाए जो उसने पहले कक्षा-XI में पांचवें विषय के रूप में लिया था, जिसमें शारीरिक शिक्षा का विषय पहले उसके द्वारा छठे विषय के रूप में लिया गया था और जिसके अंकों की गणना नहीं की जानी थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि यदि उक्त प्रतिस्थापन की अनुमति दी गई थी, तो याचिकाकर्ता उक्त परीक्षा में*

शारीरिक शिक्षा के विषय में उत्तीर्ण होने के बाद, केवल व्यवसाय अध्ययन और अर्थशास्त्र के विषयों के लिए कम्पार्टमेंट परीक्षा देने के लिए पात्र होगा और यदि वह इसमें सफल होता है, तो वह कक्षा-XII में पदोन्नति का हकदार होगा।

****

"15. जहां तक याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उप-नियम 40.1 (iv) (ख)पूर्वोक्त में यह तर्क देने की निर्भरता है कि याचिकाकर्ता 5 फरवरी, 2015 को शारीरिक शिक्षा के लिए गणित के विषय को बदलने का हकदार था, क्योंकि उक्त उप-नियम कक्षा-XII में भी परिवर्तन की अनुमति देता है, उप-नियम 40.1 "उत्तीर्ण मानदंड (उच्चतर विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा)" से संबंधित है और इसके तहत खंड (i) से (iii) तक, उच्चतर विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित की जाने वाली आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। खंड (iv) का शीर्षक है "एक अतिरिक्त विषय की पेशकश करने वाले अभ्यर्थी के संबंध में, निम्नलिखित मानदंड लागू किए जाएंगे।" <u>इस प्रकार यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके तहत उपखंड (ख), अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक विषयों में से एक के साथ एक अतिरिक्त विषय के रूप में प्रस्तावित वैकल्पिक विषय के प्रतिस्थापन का प्रावधान, उच्चतर विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा यानी कक्षा-XII की परीक्षा के परिणाम की गणना के लिए है और याचिकाकर्ता द्वारा उस पर निर्भरता और ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा में पदोन्नति गलत धारणा है।</u>

(जोर दिया गया)

43. उपरोक्त विषय पर, सुश्री धर प्रस्तुत करती है कि उक्त निर्णय एक ऐसे मामले में था जहां छात्र कक्षा-XI में 3 विषयों, अर्थात् व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र और गणित में असफल रहा था, और उसने कक्षा-11 में 5वें विषय (05 मुख्य विषयों में से एक) के रूप में लिए गए

गणित विषय को शारीरिक शिक्षा छठे विषय में बदलने के लिए आवेदन किया था। सुश्री धर का तर्क है कि उस मामले में निर्णय सी.बी.एस.ई परीक्षा उप-नियम के उप-नियम 26 (i) की व्याख्या पर आगे बढ़ा, जो विषय में परिवर्तन से संबंधित है, जिसकी विद्यालय ने उस मामले में अनुमति नहीं दी थी क्योंकि विषय परिवर्तन के लिए आवेदन उपनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया गया था। उपनियम 26 (i) निम्नानुसार है:

> ***26. विषय परिवर्तन के नियम***
>
> *(i) कक्षा XI में विषय परिवर्तन की अनुमति विद्यालय के प्रमुख द्वारा दी जा सकती है, लेकिन उस शैक्षणिक सत्र के 31 अक्टूबर के बाद नहीं।*

44. सुश्री धर प्रस्तुत करती है कि उक्त मामले में टकराव दिल्ली विद्यालय शिक्षा नियम, 1973 के नियम 41 के तहत रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए पदोन्नति नियमों और सी.बी.एस.ई. द्वारा जारी सी.बी.एस.ई. परीक्षा उपनियमों के बीच था। यह तर्क दिया गया कि पदोन्नति नियम कक्षा-XI में विलंबित चरण में किसी एक वैकल्पिक विषय में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं देते हैं और 1 से अधिक विषयों में कम्पार्टमेंट परीक्षाओं में बैठने की भी अनुमति नहीं देते हैं।

45. सुश्री धर आगे बताती है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त मामले में सी.बी.एस.ई. न तो एक पक्षकार था और न ही उसके द्वारा कोई शपथ पत्र दायर किया गया था।

46. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की ओर से यह निवेदन किया गया है कि उस मामले में न्यायालय का अवलोकन इस प्रभाव के लिए है कि उपनियम 40.1 (iv) (ख) अनुमति देता है:

> *" ..... अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक विषयों में से एक के साथ एक अतिरिक्त विषय के रूप में पेश किए गए वैकल्पिक विषय का प्रतिस्थापन, उच्चतर विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के परिणाम की गणना के लिए है, यानी कक्षा-XII की परीक्षा और कक्षा-XI से कक्षा-XII में पदोन्नति के संबंध में याचिकाकर्ता की निर्भरता गलत है।"*
>
> यह केवल इतरोक्ति था, क्योंकि यह आगे बढ़ाए गए किसी भी तर्क पर निर्णय लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा, और न ही उस टिप्पणी के लिए कोई चर्चा या तर्क था।

47. दूसरी ओर, श्री राजप्पा का तर्क है कि *पुनीत सिंह* (पूर्वोक्त) के पैरा 15 में समन्वय पीठ की टिप्पणी एक समन्वय पीठ की राय है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और वास्तव में यह इस न्यायालय के लिए बाध्यकारी है।

48. श्री कुमार अपनी स्थिति पर कायम हैं कि चूंकि कक्षा-XI और कक्षा-XII एक समग्र पाठ्यक्रम है, इसलिए उपनियम 40.1 स्पष्ट रूप से कक्षा-XI और कक्षा-XII दोनों पर लागू होता है।

चर्चा एवं निष्कर्ष

49. अभिवचनों में निहित प्रकथनों, पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्कों, साथ ही मामले में प्राप्त विधिक संरचना के संदर्भ में इस न्यायालय की राय में निम्नलिखित स्थिति सामने आती है:

49.1. मामले की तथ्यात्मक स्थिति में कोई विवाद नहीं है। याचिकाकर्ता ने कक्षा-XI में 05 मुख्य विषय लिए, अर्थात, व्यवसाय अध्ययन, लेखा, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और गणित। उसने एक अतिरिक्त विषय भी लिया अथार्त, शारीरिक शिक्षा। के.वी.एस. द्वारा प्रस्तावित 'वैकल्पिक विषयों' में से 05 मुख्य विषयों का चयन किया गया था। अतिरिक्त विषय, अर्थात, शारीरिक शिक्षा भी वैकल्पिक विषयों में से एक है।

49.2. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी विद्यालय द्वारा कक्षा-XI के लिए आयोजित सत्र समाप्ति परीक्षा में 4 मुख्य विषयों में उत्तीर्ण किया है, लेकिन उनमें से एक में, अथार्त, गणित में अपेक्षित 33% अंक प्राप्त नहीं किया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने सैद्धांतिक परीक्षा में, प्रायोगिक परीक्षा में, साथ ही अतिरिक्त विषय, अथार्त, शारीरिक शिक्षा में समग्र रूप से 33% प्राप्त किए हैं।

49.3. सवाल यह है कि क्या वर्तमान मामले में लागू मौजूदा उप-नियम याचिकाकर्ता को गणित में प्राप्त अंकों के लिए शारीरिक शिक्षा में प्राप्त अंकों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति देते हैं। यदि उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो वह कक्षा-XI उत्तीर्ण करने के लिए अर्हता प्राप्त करेगा और कक्षा-XII में पदोन्नत हो जाएगा। हालाँकि, यदि उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं है, तो उसे कक्षा-XI को दोहराना होगा।

49.4. इस मामले का निर्णय दो प्रावधानों की व्याख्या को प्रभावित करता है, अर्थात् (i) उप-नियम 40.1, विशेष रूप से सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों के उप-नियम 40.1 खंड (iv) और (vi); और (ii) के.वी.एस. शिक्षा संहिता का अनुच्छेद 106।

49.5. विशेष रूप से, हालांकि के.वी.एस. ने तर्क दिया है कि उप-नियम 40.1 का खंड (vi) हटा दिया गया है, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं किया कि सी.बी.एस.ई. की कार्यकारी समिति के कब और किस संकल्प/निर्णय द्वारा ऐसा विलोपन किया गया था। तथ्य यह है कि सी.बी.एस.ई. की ओर से दायर संक्षिप्त प्रति-शपथ पत्र में, उप-कानून 40 का खंड (vi) उक्त प्रावधान के हिस्से के रूप में निकाला गया है। सी.बी.एस.ई.

की वेबसाइट से भी जाँच करने पर यह देखा जाता है कि उप-नियम *40.1 (vi) सी.बी.एस.ई. परीक्षा उपनियमों का हिस्सा बना हुआ है*। वास्तव में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ रि.या. (सि.) सं. 3867/2023 में दिनांक 29.03.2023 को एक आदेश पारित किया गया, जिसका शीर्षक था ***मास्टर दीपांश रावत अपने संरक्षक द्वारा बनाम बैपटिस्ट कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और अन्य*** उप-नियम 40.1 (vi) को भी संदर्भित करता है; जैसा कि ***मास्टर वर्दा नंदा बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य*** में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ का निर्णय है।

49.6. यह सुनिश्चित करने के लिए, सी.बी.एस.ई. उप-नियम 40.1 में संशोधन पर परीक्षा समिति द्वारा दिनांक 07.06.2006 की बैठक के कार्यवृत्त (मद-IV)9 के माध्यम से निम्नलिखित तर्क के आधार पर विचार किया गया था:

> ***"मद IV: उच्चतर विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के लिए अध्ययन और पारित मानदंडों के नियमित पाठ्यक्रम से संबंधित नियमों द्वारा परीक्षा के नियम 13.1 में संशोधन और नियम 40.1 और 41.1 में उप-नियम को जोड़ने पर विचार करना।***

परीक्षा नियंत्रक ने समिति को सूचित किया कि सभी संबद्ध विद्यालयों दिनांक 7.6.2001 को एक परिपत्र भेजा गया था जिसमें उन्हें क्रमशः <u>नियम 41.1 और 40.1 के तहत</u> कक्षा-X और XII के लिए निर्धारित कक्षा-IX और XI के लिए बोर्ड के उत्तीर्ण मानदंडों का पालन करने की सलाह दी गई थी। लेकिन कई विधिक मामलों को देखते हुए, इस मामले को बोर्ड के विधिक सलाहकार के पास भेजा गया था, जिसने कक्षा IX और XI के लिए भी विशिष्ट उपस्थिति आवश्यकता और उत्तीर्ण मानदंड प्रदान करने के लिए परीक्षा उप-नियमों में संशोधन का सुझाव दिया है।

परीक्षा उपनियमों के नियम 41.1 और 40.1 में, कक्षा X और XII की परीक्षाओं के लिए उत्तीर्ण मानदंड प्रदान किए गए हैं। हालांकि कक्षा IX और XI के लिए उत्तीर्ण मानदंड परीक्षा उप-नियमों में विशेष रूप से निर्धारित नहीं किए गए हैं। <u>परीक्षा उप-नियमों में कक्षा IX और XI के लिए किसी स्पष्ट उत्तीर्ण मानदंड के अभाव में विद्यालय उक्त कक्षाओं के लिए अलग-अलग उत्तीर्ण मानदंड अपना रहे हैं। हालाँकि, अध्ययन की योजना में कक्षा IX और X के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम की परिकल्पना की गई है, जिससे माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा होगी और कक्षा XI और XII के लिए एक अन्य एकीकृत पाठ्यक्रम की परिकल्पना की जाएगी, जिससे उच्चतर विद्यालय की परीक्षा होगी। इस प्रकार कक्षा X और XII की परीक्षाओं के लिए उत्तीर्ण मानदंड को कक्षा IX और XI पर भी लागू किया जाना चाहिए।</u>

****

विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्णय लिया कि <u>कक्षा IX और XI में उपस्थिति की आवश्यकता</u>

<u>और उत्तीर्ण मानदंड भी कक्षा X और XII के समान होंगे और प्रासंगिक नियम 13.1, 40.1 और 41.1 को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:</u>

******

जोड़े गए नियम-40.1 (vi) और 41.1 (vi)

कक्षा XI की परीक्षा उत्तीर्ण घोषित होने के लिए अभ्यर्थी को सभी विषयों में 33% अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा के प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% होंगे। प्रायोगिक कार्य से जुड़े विषय के मामले में, अभ्यर्थी को उस विषय के में अर्हता प्राप्त करने क लिए कुल मिलाकर 33% अंकों के अलावा सैद्धांतिक में 33% अंक और प्रायोगिक में अलग से 33% अंक प्राप्त करने होंगे।
*****

(जोर दिया गया)

49.7. उप-नियम 40.1 (vi) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि कक्षा-XI की परीक्षाओं में उत्तीर्ण घोषित होने के लिए, एक अभ्यर्थी को सभी विषयों में 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण अंक 33% हैं। प्रायोगिक कार्य और सैद्धांतिक परीक्षा से जुड़े विषयों के मामले में, एक अभ्यर्थी को 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है प्रत्येक को सिद्धांत रूप में, एक विषय में अर्हता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को सैद्धांतिक, प्रायोगिक और कुल मिलाकर प्रत्येक में 33% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस उप-नियम को पढ़ने

से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि कक्षा-XI की परीक्षाएं उप-नियम 40.1 के अंतर्गत आते हैं।

49.8. अब, उप-नियम 40.1 (iv) (ख) स्पष्ट रूप से एक मुख्य विषय के स्थान पर एक अतिरिक्त विषय के प्रतिस्थापन की अनुमति देती है - बशर्ते कि अतिरिक्त विषय को भी वैकल्पिक विषयों में से एक के रूप में पेश किया जाए और इस शर्त के अधीन कि इस तरह के प्रतिस्थापन के बाद भी, या हिंदी को बनाए रखना जारी रखे।

49.9. इस न्यायालय की राय में, एक बार जब के.वी.एस. ने कक्षा-XI और कक्षा-XII के लिए सी.बी.एस.ई. से संबद्धता मांगी और प्राप्त कर ली है, तो के.वी.एस. अपने छात्रों पर कक्षा-XI के लिए उत्तीर्ण मानदंड लागू नहीं कर सकता है जो कि सी.बी.एस.ई. द्वारा उप-नियम 40.1 के तहत निर्धारित विशिष्ट उत्तीर्ण मानदंडों के अनुरूप हैं।

49.10. उपरोक्त दृष्टिकोण *जिज्ञा यादव* (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"117. सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों की बात करें तो इन्हें एक संहिता के रूप में शामिल किया जाता है। वे प्रवेश, परीक्षा, प्रवासन, स्थानांतरण, पाठ्यक्रम, विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क, सत्यापित प्रमाणपत्र जारी करना, प्रमाणपत्रों में संशोधन आदि सहित एक छात्र की औपचारिक शिक्षा से संबंधित सभी आवश्यक पहलुओं को प्रदान करते हैं। ***इसलिए ये उप-नियम पक्षकारों को बाध्य करती हैं और न्यायालय में विधिवत लागू करने योग्य हैं, यहां तक कि रिट उपचार के माध्यम से भी जैसा कि हमने याचिकाओं के वर्तमान बैच में देखा है।***

"118. इसे अलग तरह से कहें तो, ***बोर्ड के उपनियमों में विधिक बल है और सभी विधिक उद्देश्यों के लिए इन्हें ऐसा ही माना जाना चाहिए। राज्य के एक उपकरण से उत्पन्न नियमों के इन आधिकारिक समूह को केवल संविदात्मक शर्तों के रूप में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, बावजूद इसके कि उनके उचित अनुप्रयोग में अत्यधिक सार्वजनिक हित है।*** *******

*"120. .....****सी.बी.एस.ई. में नामांकित छात्र के लिए, उसकी शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं से निपटने के लिए विषय उप-नियमों के अलावा कोई अन्य नियम नहीं है।....."***

(जोर दिया गया)

49.11. उपरोक्त के अनुक्रम के रूप में, इस न्यायालय की राय में, इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सी.बी.एस.ई. द्वारा बनाया गया उप-नियम और के.वी.एस. द्वारा जारी संहिता के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, सी.बी.एस.ई. उप-नियम प्रचलित होंगे। वर्तमान मामले में, एक स्पष्ट विरोधाभास है क्योंकि के.वी.एस. शिक्षा संहिता का अनुच्छेद

106 एक अतिरिक्त मानदंड निर्धारित करता है जिसके द्वारा एक अभ्यर्थी को कक्षा-XI के लिए उत्तीर्ण मानदंड को पूरा करने के लिए मुख्य विषय के स्थान पर एक अतिरिक्त विषय को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं है। चूँकि उप-नियम 40.1 (iv) (ख) और (vi) विशेष रूप से इस तरह के प्रतिस्थापन की अनुमति देते हैं, अनुच्छेद 106 के उप-नियम 40.1 (iv) (ख) और (vi) के अनुरूप होना चाहिए।

49.12. तदनुसार, याचिकाकर्ता गणित (मुख्य विषय के रूप में लिया गया एक वैकल्पिक विषय) के स्थान पर शारीरिक शिक्षा (एक अतिरिक्त विषय के रूप में लिया गया एक वैकल्पिक विषय) को प्रतिस्थापित करने का हकदार है। ऐसा करने से वह अंग्रेजी को भी मुख्य विषयों में से एक के रूप में बनाए रखेंगे। चूंकि ऐसा है, इसलिए इस तरह के प्रतिस्थापन पर, याचिकाकर्ता ने 05 विषयों में 33% अंक प्राप्त किए होंगे, अथार्त, व्यावसाय अध्ययन, लेखा, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और शारीरिक शिक्षा - सैद्धांतिक, प्रायोगिक के साथ-साथ समग्र रूप से प्रत्येक विषय में।

49.13. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, याचिकाकर्ता सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों के उप-नियम 40.1 में निहित उत्तीर्ण मानदंडों को पूरा करता है।

49.14. इसके अलावा, इस न्यायालय का विचार है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा *पुनीत सिंह* (पूर्वोक्त) के मामले में की गई टिप्पणी एक इतरोक्ति हो सकती है क्योंकि, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही ढंग से बताया गया है, उस मामले का निर्णय सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों के उप-नियम 26 (झ) की व्याख्या और अनुप्रयोग पर आधारित था और शिक्षा विभाग, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पदोन्नति नियमों की पृष्ठभूमि में बनाया गया था। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि उस निर्णय में उपविधि 40.1 से संबंधित कोई चर्चा या कोई तर्क नहीं है। इसलिए न्यायालय सी.बी.एस.ई. परीक्षा उप-नियमों के उप-नियम 40.1 के संबंध में आधिकारिक राय व्यक्त नहीं कर सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस मामले में पैरा 15 में न्यायालय की टिप्पणी *उपविधि 40.1 (vi) को ध्यान में लाए बिना आगे बढ़ता है*, जो विशेष रूप

से कक्षा XI परीक्षा के लिए उत्तीर्ण मानदंड निर्धारित करता है।

50. तदनुसार, याचिका को अनुमति दी जाती है; इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने कक्षा-XI के लिए उत्तीर्ण मानदंडों को पूरा किया है और वह केंद्रीय विद्यालय, सेक्टर 12, द्वारका में कक्षा-XII में पदोन्नत होने का पात्र है।

51. जैसा कि सुनवाई के दौरान सी.बी.एस.ई. के विद्वान अधिवक्ता ने बताया, 2024 में सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा-XII उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए याचिकाकर्ता को प्रायोजित करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 विद्यालय की समय सीमा बीत चुकी है। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी सं.3/सी.बी.एस.ई. को आवश्यक वेब-लिंक उपलब्ध कराने और/या केंद्रीय विद्यालय स्कूल, सेक्टर-12, द्वारका के लिए वैकल्पिक तंत्र की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाता है ताकि 2024 में आयोजित होने वाली कक्षा-XII उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों में से एक के रूप में याचिकाकर्ता का नाम अपलोड/जमा किया जा सके।

52. याचिका उपरोक्त शर्तों के साथ निस्तारित की जाती है।

53. लंबित आवेदन, यदि कोई हो तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

न्या. अनूप जयराम भंभानी

नवंबर 06,2023/*यूजे/डीएस*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*